पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान

प्रकरण नं० : 75/2021

उनवान :

सावित्रीदेवी पत्नी हरीसिंह जाति जाट निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा। :— वादीया

बनाम

1. भतेरी पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।
2. कुलदीप पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।
3. सुरेश पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।
4. रामसिंह पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।
5. कृष्ण पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।
6. शिशपाल पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।
7. महेन्द्र पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।
8. तुलसी पत्नी हेमराज जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा। (फौत)
9. तिलोकचन्द पुत्र आदराम जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।
   9/1 धन्नीदेवी पत्नी तिलोकचन्द जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।
   9/2 रामेती पुत्री तिलोकचन्द पत्नी राजेश जाति जाट निवासी सवाईछानी हाल आबाद डिलकी जाटान तहसील नोहर।
10. सुभाष चन्द पुत्र तिलोकचन्द जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।
11. पूनमचन्द पुत्र तिलोकचन्द जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।
12. भारतीय स्टेट बैंक शाखा बस स्टैण्ड भादरा।
13. भारतीय स्टेट बैंक शाखा भिरानी जरिये शाखा प्रबंधक।
14. भारतीय स्टेट बैंक शाखा छानीबड़ी जरिये शाखा प्रबंधक
15. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीया श्री पवन सिहाग की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 जे०एस०एल० के खाता संख्या 168/160 के मु०नं० 118 के कि० नं० 6, 7, 14 ता 17, 24, 25, मु०नं० 119 के कि०नं० 17 ता 24 कुल किता 16 की कुल 3.6820 है० (3.6300 है० बारानी, गै० मु० रास्ता 0.052 है०) जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 भतेरी, कुलदीप तथा सुरेश के पति/पिता धर्मपाल के नाम से 7–2930/6320 हिस्सा राजस्व रिकार्ड दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पति/पिता धर्मपाल का नाम कलमजन किया जाकर धर्मपाल के नाम दर्ज 7–2930/6320 हिस्सा कृषि भूमि की धर्मपाल की बजाए वादीया सावित्रीदेवी पत्नी हरीसिंह जाति जाट निवासी छानीबडी तहसील भादरा को खातेदार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदारमद किया [illegible] रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.07.10 13:56:41 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान

प्रकरण सं0 : 73/2021

शान्ती देवी पत्नी हरिसिंह जाति जाट निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा।

:— वादीया

बनाम

1. भतेरी पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।
2. कुलदीप पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।
3. सुरेश पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।
4. रामसिंह पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।
5. कृष्ण पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।
6. शिशपाल पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।
7. महेन्द्र पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।
8. तुलसी पत्नी हेमराज जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।(फौत)
9. तिलोकचन्द पुत्र आदराम जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।
   9/1 धर्मोदेवी पत्नी तिलोकचन्द जाति जाट निवासी सवाईछानी हाल आबाद
   9/2 रामेती पुत्री तिलोकचन्द पत्नी राजेश जाति जाट निवासी सवाईछानी हाल आबाद ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
10. सुभाष चन्द्र पुत्र तिलोकचन्द जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।
11. पूनमचन्द पुत्र तिलोकचन्द जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा।
12. भारतीय स्टेट बैंक शाखा बस स्टैण्ड भादरा।
13. भारतीय स्टेट बैंक शाखा भिरानी जरिये शाखा प्रबंधक।
14. भारतीय स्टेट बैंक शाखा छानीबड़ी जरिये शाखा प्रबंधक
15. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री पवन सिहाग : वादी

निर्णय **दिनांक :** 10.06.25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 4 जे0एस0एल0 के खाता संख्या 168/160 के मु0नं0 118 के कि0 नं0 6, 7, 14 ता 17, 24, 25, मु0नं0 119 के कि0नं0 17 ता 24 कुल किता 16 की कुल 3.6820 है0 जिसमें 3.6300 है0 बारानी तथा गै0 मु0 रास्ता 0.052 है0 जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 भतेरी, कुलदीप तथा सुरेश के पति/पिता धर्मपाल के नाम से 7–2930/6320 हिस्सा एंव प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 रामसिंह, कृष्ण, शिशपाल, महेन्द्र का 101–1343/1580 हिस्सा संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर एंव प्रतिवादी संख्या 8 तुलछी देवी का 18–237/1264 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या ... सुभाषचन्द्र, पूनमचन्द का 145–1/2 हिस्सा संयुक्त रूप से बहिस्सा ब... वादीया का 18 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.07.10 13:56:41 IST
Reason: SelfAttested

वादभूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता ... पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी सवाईछानी के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रतिवादी संख्या ... ता 3 के पिता/पति ने अपने नाम दर्ज उक्त वादभूमि में से दिनांक 09.03.2006 को चक 6 जे0एस0एल0 में से 3–1/10 हिस्सा तथा 4 जे0एस0एल0 में से 9–13/20 हिस्सा भूमि को वादीया को कीमतन विक्रय कर विक्रय पत्र वादीया के पक्ष में निष्पादित करवा दिया था। दिनांक 09.03.2006 को चक 6 जे0एस0एल0 में खरीद की गई कृषि भूमि का नामान्तरण वादिया द्वारा दर्ज करवा लिया गया। चूंकि चक 4 जे0एस0एल0 की कृषि भूमि में से सिद्धमुख परियोजना निकलने के

Scanned with CamScanner

... रतनपुरा वितरिका निकल गई और रतनपुरा वितरिका [illegible] ... से निकली उस कृषि भूमि का सिद्धमुख परियोजना के [illegible] ... कुल खाता में से प्रत्येक खातेदार के हिस्से के अनुसार [illegible] ... कम हुई उसी अनुसार प्रत्येक खातेदार के हिस्से में से भूमि [illegible] ... कर दिया गया। रतनपुरा वितरिका के नाम नामान्तरण [illegible] ... ता 3 के पति/पिता धर्मपाल के नाम पूर्व में दर्ज 9–13/20 हिस्सा [illegible] ... के नाम 7–2930/6320 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज [illegible] ... बैनामा की प्रतिलिपि पटवारी हल्का को बैयनामा के 6–7 [illegible] ... बीच सिद्धमुख नहर परियोजना के तहत रतनपुरा वितरिका के नाम [illegible] ... राजस्व रिकार्ड में अंकन होने से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पति/पिता [illegible] ... हिस्सा कम दर्ज होने के कारण पटवारी हल्का ने बैयनामा में दर्ज हिस्सा [illegible] ... कारण नामान्तरण दर्ज नहीं किया जा सका तथा वादिया द्वारा आज [illegible] ... भूमि का नामान्तरण वादिया के पक्ष में नहीं हुआ। इस प्रकार वादिया की [illegible] ... 9–13/20 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पति/पिता के नाम दर्ज होने पर [illegible] ... खातेदारी हकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन [illegible] किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 बावजूद तामील के उपस्थित नहीं आये उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 15 जवाबदावा पेश किया गया। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादिया में सावित्रीदेवी पत्नी हरीसिंह जाति जाट निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी रोही मौजा 4 जे0एस0एल0 संवत 2076–79 खाता संख्या 168/160 प्रदर्श 1, चित्रप्रति विक्रय पत्र चक 4 जे0एस0एल0 व 6 जे0एस0एल0 दिनांक 09.03.2006 प्रदर्श 2 ए, चित्रप्रति विक्रय पत्र चक 6 जे0एस0एल0 व चक 4 जे0एस0एल0 दिनांक 29.05.2004 प्रदर्श 3 ए प्रदर्शित करवाये गये।

वकील वादिया की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादिया ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वादभूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता/पति ने अपने नाम दर्ज उक्त वादभूमि में से दिनांक 09.03.2006 को चक 6 जे0एस0एल0 में से 3–1/10 हिस्सा तथा 4 जे0एस0एल0 की 9–13/20 हिस्सा भूमि को वादीया को कीमतन विक्रय कर विक्रय पत्र वादीया के पक्ष में निष्पादित करवा दिया था। परन्तु आज तक उक्त खरीदशुदा भूमि में चक 4 जे0एस0एल0 का नामान्तरण वादीया के पक्ष में नहीं हुआ। इसी दौरान धर्मपाल का देहान्त हो गया। चूंकि वादिया ने चक 4 जे0एस0एल0 की 9–13/20 हिस्सा भूमि धर्मपाल से कीमतन क्रय की थी जिसमें से रतनपुरा वितरिका का हिस्सा वादिया के नाम दर्ज होने के बाद कटना चाहिए था वो धर्मपाल के हिस्से से कम कर दिया गया जिससे बैयनामा में दर्ज भूमि व धर्मपाल के नाम दर्ज भूमि में अन्तर आ गया जिससे उक्त बैयनामा का नामान्तरण आज दिनांक तक नहीं हुआ आज भी प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पति/पिता के नाम चक 4 जे0एस0एल0 में धर्मपाल के नाम 7–2930/6320 हिस्सा दर्ज है।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा चक 4 जे0एस0एल0 के खाता संख्या 168/160 के मु0नं0 118 के [illegible] नं0 6, 7, 14 ता 17, 24, 25, मु0नं0 119 के कि0नं0 17 ता 24 कुल किता 16 की कुल 3.6820 है0 (3.6300 है0 बारानी, गै0 मु0 रास्ता 0.052 है0) जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 भतेरी, कुलदीप तथा सुरेश के पति/पिता धर्मपाल के नाम से 7–2930/6320 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। उक्त वादभूमि में से चक 4 जे0एस0एल0 में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पति/पिता के नाम दर्ज भूमि 7–2930/6320 हिस्सा में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पति/पिता धर्मपाल का नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.07.10 13:36:41 IST
Reason: SelfAttested

...क कलक्टर
...ट ट्रेक भादरा

Scanned with CamScanner

कलमजन किया जाकर धर्मपाल के नाम दर्ज 7–2930/6320 हिस्सा कृषि भूमि का धर्मपाल की बजाए वादीया सावित्रीदेवी पत्नी हरीसिंह जाति जाट निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा को खातेदार घोषित किया जावे। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक अनुतोष के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वाद भूमि रोही मौजा चक 4 जे0एस0एल0 के खाता संख्या 168/160 के मु0नं0 118 के कि0 नं0 6, 7, 14 ता 17, 24, 25, मु0नं0 119 के कि0नं0 17 ता 24 कुल किता 16 की कुल 3.6820 है0 (3.6300 है0 बारानी, गै0 मु0 रास्ता 0.052 है0) जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 भतेरी, कुलदीप तथा सुरेश के पति/पिता धर्मपाल के नाम से 7–2930/6320 हिस्सा राजस्व रिकार्ड दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पति/पिता धर्मपाल का नाम कलमजन किया जाकर धर्मपाल के नाम दर्ज 7–2930/6320 हिस्सा कृषि भूमि की धर्मपाल की बजाए वादीया सावित्रीदेवी पत्नी हरीसिंह जाति जाट निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा को खातेदार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदारमद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.07.10 13:56:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner